भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Odisha/1/Rourkela Steel Plant/2016/RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक /Dated: **15.06.2017**

To,

1 The Chief Secretary,
Govt. of Odisha,
Secretariat,
Bhubaneswar,
Odisha

2 Commissioner Cum Secretary,
SC&ST Development,
Department,
Govt. Of Odisha,
Bhubaneswar,
Odisha

3 The Commissioner,
Rehabilitation &
Periphery Development
Advisory Committee,
Govt. of Odisha
Sambalpur, Odisha

4 The Secretary,
Revenue Dept.
Govt. of Odisha,
Bhubaneswar,
Odisha

5 District Collector,
Sundargarh District,
Odisha

6 The Managing Director,
Rourkela Steel Plant,
Sundargarh District,
Odisha

7 The Director,
Ministry of Steel,
Udyog Bhavan,
New Delhi - 110107

Sub: Proceeding of the Sitting taken by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on 16.05.2017 in the matter of representation of Shri Lachhu Oram and Others persons displaced for establishment of Rourkela Steel Plan (erstwhile Hindustan Steel Plant.)

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Chairperson, NCST, on 16.05.2017 for taking necessary action. The compliances report in the matter may please be intimated to the Commission.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy to:

1. Shri Lachhu Oram, Rourkela Steel Plant & Marshalling Yard Displaced Committee, Vill- Tangrapali, Po- Rourkela, District Sundargarh-769007, Odisha.
2. SSA, NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No. Odisha/1/RSP/2016/RU-III)

श्री लच्छू उरांव और अन्य के अभ्यावेदन राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 16.05.2017 का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 16.05.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 22.02.2016 से 24.02.2016 का दौरा रिपोर्ट एवं दिनांक 07.10.2016 को आयोग में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में।

श्री लच्छू उरॉव और अन्य जिला–सुन्दरगढ़, ओड़िशा के द्वारा आयोग को राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विस्थापित होने, उनकी जमीन के बदले में मुआवजा न मिलने तथा विस्थापितों के परिवार के सदस्यों को रोजगार न मिलने के संबंध में आयोग के अध्यक्ष महोदय से अभ्यावेदकगण ने मुलाकात की एवं अपना अभ्यावेदन दिया। अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण पर संज्ञान लिया कि यह एक गम्भीर मामला है तथा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ वर्ष 1953–54 से हो रहे जमीन अधिग्रहण के मामले पर प्रशासन/राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जिससे कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उनके लिए बनाई गई सुविधाओं से वंचित हैं।

आयोग के दिनांक 22.02.2016 से 24.02.2016 का दौरा रिपोर्ट एवं दिनांक 07.10.2016 को आयोग में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में दी गई अनुशंसाएं:–

1. जिन व्यक्तियों ने विसथिापितों के स्थान पर धोखे से नौकरी प्राप्त कर ली है उनकी जांच कर तुरंत बाहर किया जाए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
2. जिला प्रशासन ने बताया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को 6000 विस्थापितों के परिवार जनों को नौकरी देनी है लेकिन 3000 व्यक्तियों को ही नौकरी दी गई जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया जो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना से विस्थापित नहीं हुए थे। इस संबंध में आयोग ने सलाह दी राउरकेला इस्पात संयंत्र इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी विस्थापितों को रोजगार दिया जाए।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 16.05.2017 को बैठक में चर्चा किए गए बिन्दु

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2017 को हुई बैठक में उपस्थित अधिकारियों और याचिकाकर्ता से चर्चा करते हुए याचिकाकर्ता श्री लच्छू ऑरांव को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। उन्होंने पक्ष रखते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया।

1. 1956 में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय उनके पूर्वजों ने अपनी जमीन संयंत्र को दी। मगर उनको न तो आज तक जमीन के बदले जमीन दी गई और न ही किसी प्रकार का मुआवजा दिया गया। जिन लोगों को जमीन के बदले जमीन दी गई है वो उनके निवास स्थान से 150–200 कि.मी की दूरी पर दी गई है जिससे उनको कृषि कार्य करने में अत्यंत कठिनाई होती है और जिनको मुआवजा दिया गया वो इतना कम था कि उससे कुछ व्यक्तियों को जो जमीन दी गई थी अब वह जमीन वन भूमि के अंतर्गत आ गई है। सच तो यह है कि उनको प्रारम्भ में ही वन भूमि प्रदान की गई थी जिसका अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ज्ञान नहीं था।
2. राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय उनको उचित मुआवजे और नौकरी का आश्वासन दिया गया था मगर वह आज तक पूरा नहीं किया गया जिससे अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति निरंतर दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
3. संयंत्र की स्थापना के समय उचित शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं देने का आश्वासन दिया गया था जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। उचित शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बच्चे शिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ हैं तथा स्वास्थ्य व्यवस्था के न होने के कारण उनकी बीमारियों का ठीक से उपचार नहीं हो पाता और वह दयनीय अवस्था में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।
4. संयंत्र की स्थापना से जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति विस्थापित हुए हैं उनको रहने के लिए जमीन प्रदान नहीं की गई और जिन लोगों को जमीन प्रदान की गई वह ऐसी जगह प्रदान की गई जहां पर जीवनयापन करने के लिए वातावरण उचित नहीं है।
5. संयंत्र से विस्थापित हुए लोगों के लिए संयंत्र ने कुछ कॉलोनियों का निर्माण करवाया है परंतु उन कॉलोनियों में पीने के पानी की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, बिजली, सड़क आदि का सर्वथा अभाव है। इस स्थिति में उन कॉलोनियों में रहना अत्यंत कष्टकर है।
6. राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कुछ जमीन प्राइवेट बिल्डरों को अनेक कार्यों के लिए स्वयं ही निर्णय लेकर दे दी जबकि इस्पात संयंत्र ऐसे निर्णय नहीं ले सकता। किसी अन्य व्यक्ति को जमीन भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश पर ही दी जा सकती है। संयंत्र के पास कुछ जमीन खाली पड़ी है जिसका संयंत्र ने कई वर्षों से उपयोग नहीं किया है। कानून के हिसाब से उस जमीन को संयंत्र ने मूल अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वितरित नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय ने याचिकाकर्ता को सुनने के पश्चात् बैठक में आए हुए संबंधित अधिकारियों से निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा किः–

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अध्यक्ष महोदय ने संबंधित अधिकारियों से जानना चाहा कि कितने अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन दी गई है और कितने अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने जमीन पर अपना कब्जा प्राप्त किया है। साथ ही यह भी जानना चाहा कि कितने अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई है और क्या कारण है कि उनको आज तक जमीन प्रदान नहीं की गई।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पिछली बैठक में दी गई सलाह के अनुसार प्रशासन ने जिला–सुन्दरगढ़ के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है और सर्वे के दौरान प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिनको जमीन के बदले जमीन दी गई है, जिनको जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई है। सर्वे के दौरान प्रशासन इस बात का भी सर्वेक्षण किया है कि कितने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रदान की गई जमीन पर कृषि आदि कार्य कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो प्रदान की गई जमीन पर कब्जा प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि जिन व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन नहीं दी गई है तथा जिनको जमीन तो दी गई है परंतु उनका उस जमीन पर कब्जा नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को शीघ्र ही कब्जा दिलवा दिया जाएगा और जिनको जमीन नहीं दी गई है उनको जमीन प्रदान करने की व्यवस्था शीघ्र ही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त बातों को सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि इतना लम्बा समय बीत जाने के उपरांत भी आज तक अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया जो अत्यंत दुख की बात है साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि इसमें प्रशासनिक और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की कार्य करने में शिथिलता रही है जिससे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दयनीय स्थिति में छोड़ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनका हक शीघ्र अति शीघ्र प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने याचिकाकर्ता श्री लच्छू उरांव से जानकारी चाही कि उनकी कितनी भूमि का राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अधिग्रहण किया और उनको कितनी जमीन उस जमीन के बदले प्रदान की गई तथा साथ ही यह भी जानना चाहा कि उनको उस जमीन का कितना मुआवजा प्रदान किया गया।

श्री लच्छू उरांव ने अध्यक्ष महोदय को बताया कि उनकी 53 एकड़ भूमि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अधिग्रहण की जिसके बदले में उनको कुल 23 एकड़ जमीन प्रदान की गई तथा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में रु 5.25 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने संबंधि अधिकारियों से मुआवजा राशि के बारे में जानना चाहा कि इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय कितने रुपये मुआवजा राशि के रूप में आवंटित किए गए और कितने रुपयों का वितरण किया गया और कितनी राशि अब तक वितरित करने से शेष बच गई है और क्या कारण है कि अब तक शेष राशि वितरित नहीं हो पाई है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इस्पात संयंत्र की स्थापना के समय 64,00,000 रुपये आवंटित किए गए थे जिसमें से लगभग 60,00,000 रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष राशि को वितरित नहीं किया जा सका है।

मुआवजे की दर के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि उस समय भारत सरकार और राज्य सरकार के कानून के मुताबिक ही मुआवजा राशि प्रदान की गई है।

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी और उसी वर्ष भूमि का अधिग्रहण किया गया था। यह कितनी विचित्र स्थिति है कि आज तक जो मुआवजा राशि आवंटित की गई थी उसको पूर्ण रूप से वितरित नहीं किया जा सका, अगर यह शेष मुआवजा राशि संबंधित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आज वितरित की जाती है तो उसका क्या औचित्य है।

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक अधिकारियों और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से जानना चाहा कि जिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विस्थापित किया गया है उनको दूसरी जगह बसाने के लिए कोई भूमि आवंटित की गई है अथवा नहीं। और की गई है तो क्या उस भूमि का पट्टा उनको दिया गया है अर्थात उस भूमि का उनको मालिकाना हक प्रदान किया गया है अथवा नहीं। यदि उनको मालिकाना हक प्रदान नहीं किया गया है तो उनकी जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य समस्याओं का किस प्रकार निपटान किया जा रहा है।

प्रशासनिक और इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापन के लिए अनेक स्थानों पर कॉलोनियों का निर्माण किया गया है तथा अनेक व्यक्तियों को उनकी कृषि भूमि के समीप ही रहने के लिए जगह प्रदान की गई है।

आयोग के संज्ञान में यह बात भी याचिकाकर्ता ने दिलाई कि अनुसूचित जनजाति के अनेक व्यक्तियों को रहने के लिए दी गई जमीन का मालिकाना हक प्रदान नहीं किया गया। इसी संबंध में श्री मंगना उरांव ने बताया कि उनके घर की जमीन का अधिग्रहण राउरकेला इस्पात संयंत्र ने किया परंतु किसी कारणवश वो जमीन संयंत्र ने राज्य सरकार को वापस करदी। राज्य सरकार ने उसके घर को तोड़कर जमीन ईदगाह के लिए दे दी। परंतु न तो उसको रहने के लिए कोई दूसरी जगह दी गई और न ही उसे उस भूमि का कोई मुआवजा प्रदान किया गया। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कुछ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रहने की जमीन का मालिकाना हक अनेक कारणों की वजह से नहीं मिला है। जिन व्यक्तियों को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है उनको शीघ्र ही जमीन का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा तथा श्री मंगना के मामले में भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

रोजगार प्रदान करने के संबंध में

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से जानना चाहा कि कितने अनुसूचित जनजाति के विस्थापित परिवारों के सदस्यों को इस्पात संयंत्र में रोजगार प्रदान किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानना चाहा कि दिनांक 17.10.2016 को हुई बैठक में आयोग द्वारा रोजगार के विषय में जो अनुशंशाएं दी गई थी उन पर प्रशासन और राउरकेला इस्पात संयंत्र ने क्या कार्रवाई की है।

इस संबंध में प्रशासन और संयंत्र के अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अनुसूचित जनजाति के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 1098 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना सुनिश्चित किया गया जिनमें से 199 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना अभी शेष है। अधिकारियों ने बताया कि 199 व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने से रह गए हैं उन लोगों ने संयंत्र को आवेदन ही नहीं दिए इस वजह से इन लोगों को रोजगार नहीं मिला। आयोग के अध्यक्ष महोदय ने इस पर हैरानी जताते हुए कि इतने लोग अब भी रोजगार से वंचित हैं यह तो अत्यंत खेद का विषय । जिला प्रशासन अगर कार्य करने में मुस्तैदी दिखाता तो वह इन व्यक्तियों से आवेदन मांग सकता था और उनके लिए जीवनयापन के अवसर उपलब्ध करा सकता था। रोजगार के मुद्दे पर श्री लच्छू उरांव ने आयोग को बताया कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के स्थान पर नौकरी कर रहे हैं। इस पर आयोग के अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन और इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के स्थान पर नौकरी कर रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाला जाए और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उसके स्थान पर नौकरी प्रदान की जाए।

अधिग्रहण जमीन को प्रावेट संस्थाओं को बेचने के संबंध में

अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से जानना चाहा कि क्या उन्होंने संयंत्र द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन को प्राइवेट संस्थाओं को दिया है यदि दिया है तो वह किसके आदेश से दी गई है ? क्या अधिग्रहण की गई जमीन को किसी अन्य संस्था को दिए जाने से पूर्व भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति ली गई है अथवा नहीं ? इस पर प्रशासन और इस्पात संयंत्र के अधिकारियों ने आयोग को अवगत कराया कि संयंत्र ने जो जमीन अधिग्रहण की थी उसका काफी हिस्सा आज भी प्रयोग से बाहर है। उसको उपयोग करने के लिए संयंत्र ने अपने कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया है तथा कुछ जमीन प्राइवेट संस्थाओं को भी दी गई है। इस संबंध में अधिकारियों ने आयोग को कोई ठोस सबूत नहीं दिए कि जमीन प्राइवेट संस्थाओं को भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति से दी गई है। अध्यक्ष महोदय ने सलाह दी कि प्राइवेट संस्थाओं को जमीन दिए जाने के विषय में और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने में हुई कथित गड़बड़ी के संबंध में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार इसकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन करे तथा कमेटी के सदस्य संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के ना हों। कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट 01 माह के अन्दर आयोग को प्रस्तुत करे।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अध्यक्ष महोदय ने याचिकाकर्ता से जानना चाहा कि वो जिन पुनर्वास कॉलोनियों में रहते हैं क्या उनमें पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था है अथवा नहीं।

इस संबंध में याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि पुनर्वास कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था न के बराबर है। पुनर्बास कॉलोनियों में पीने के पानी की अत्यंत किल्लत है जिससे पुनर्वास कॉलोनियों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दूषित पानी पीने के कारण वह अनेक प्रकार की बिमारियों से ग्रस्त हैं। पुनर्वास कॉलोनियों में अस्पताल न होने के कारण उनको दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है तथा सड़क की व्यवस्था ठीक न होने के कारण अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पैदल चलना पड़ता है। जिससे उनको पूर्ण रूप से इलाज कराने में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। पुनर्वास कॉलोनियों में स्कूल का भी अभाव है जिससे अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल न होने के वजह से अनुसूचित जनजाति के बच्चे शिक्षा में अत्यंत पिछड़े हुए हैं अतः वह निरंतर उसी दयनीय स्थिति में बने हुए हैं जिस स्थिति में उनका जन्म हुआ है। बिजली की समस्या भी लगातार बनी हुई है जिसका निराकरण प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाना है, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय ने उपरोक्त सभी समस्याओं पर प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी मांगी तब उन्होंने बताया कि पुनर्वास कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल की व्यवस्था करने के लिए अलग बजट का प्रावधान कर रहे हैं जिससे पुनर्वास कॉलोनियों में इन समस्याओं को तुरंत दूर किया जा सकता है।

अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थल सरना के संबंध में

अध्यक्ष महोदय को याचिकाकर्ता ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोग सरना की पूजा करते हैं जिसके लिए राज्य सरकार ओर राउरकेला इस्पात संयंत्र ने उनको जमीन प्रदान नहीं की जबकि अन्य धर्मों के लिए जमीन प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक अधिकारियों और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि कुछ जगह पर सरना के लिए जमीन दी गई है, यदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति सरना के लिए कहीं पर जमीन के मांग करते हैं तो उनको शीघ्र जमीन प्रदान की जाएगी।

आयोग की अनुशंसाएं

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं से चर्चा के बाद आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसाएं दीः–

1. आयोग ने निर्णय लिया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्थापितों की समस्याओं पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा इस संबंध में आयोग मुख्य सचिव, ओडिशा शासन,

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राउरकेला इस्पात संयंत्र एवं सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के साथ शीघ्र बैठक करेगा।

2. जिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन प्रदान नहीं की गई है उनको शीघ्र ही जमीन प्रदान करने की कार्रवाई की जाए।
3. जिन अनुंसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि अधिग्रहण के उपरांत मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गई है उनको नए नियमों के हिसाब से मुआवजा राशि प्रदान करने की कार्रवाई की जाए।
4. जिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जमीन के बदले जमीन 150–200 कि.मी की दूरी पर प्रदान की गई है उनको रहने के लिए जमीन उनकी कृषि भूमि के समीप प्रदान करने की कार्रवाई करें और यह सूनिश्चित करें कि भविष्य में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से यदि जमीन अधिग्रहीत की जाती है तो उनको उनकी बसाहटों से अधिक दूरी पर जमीन प्रदान न करके उनकी बसाहटों के समीप प्रदान की जाए।
5. जिन अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की जमीन राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अधिग्रहित की गई है। उनको/उनके परिवार के सदस्यों को संयंत्र में रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई की जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति रोजगार न प्राप्त कर सके।
6. इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार एक कमेटी का गठन करे जिसमें संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी न हो। इस कमेटी की जांच का मुख्य बिन्दु यह हो कि राउरकेला इस्पात संयंत्र के द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को बेची/लीज पर जमीन किस के आदेश से दी गई है। क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्राइवेट संस्थाओं को जमीन दिए जाने से पूर्व भारत सरकार और राज्य सरकार की अनुमति ली गई है अथवा नहीं ? कमेटी की रिपोर्ट आयोग को 1 माह के अन्दर भेजी जाए।
7. अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थापित की गई पुनर्वास कॉलोनियों में पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल आदि की समस्याओं का निराकरण तुरंत किया जाए।
8. अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके पूजा स्थल सरना के लिए जमीन प्रदान की जाए, और जिस जगह पर सरना का निर्माण अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने किया हुआ है उसको तोड़ा न जाए।

बैठक की समाप्ति पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक और राउरकेला इस्पात संयंत्र के अधिकारियों से उपरोक्त अनुशंसाओं पर 1 माह के अन्दर आयोग को की गई कार्रवाई से अवगत कराने की सलाह दी।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट–क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

F.No. Odisha/1/RSP/2016/RU-III

श्री लच्छू ओरांव और अन्य के अभ्यावेदन राउरकेला इस्पात संयंत्र (पूर्व में हिंदुस्तान इस्पात संयंत्र) की स्थापना से विस्थापित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 16.05.2015 का कार्यवृत।

बैठक में भाग लेने वाले–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसूइय उईके, उपाध्यक्ष
3. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
4. श्री राघव चंद्रा, सचिव
5. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
6. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक,
7. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

1. श्री ए. प्रकाश, निदेशक

ओडिशा राज्य सरकार

1. श्री चंद्र शेखर कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
2. श्री विनीत भारद्वाज, कलेक्टर, सुन्दरगढ़
3. सुश्री मोनिशा बेनरजी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, राउरकेला
4. श्री रघू प्रसाद, विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग

राउरकेला इस्पात संयंत्र

1. श्री पी.के. प्रधान, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
2. श्री. बी. कुल्लू, उप महाप्रबंधक, (पर्सनल)
3. श्री एस.पी. एस. जग्गि, कार्यकारी निदेशक (पी. एण्ड ए) सेल
4. श्री रमन कुमार, उप महाप्रबंधक, सेल

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi